अल्पकालीन निविदा

हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2018 जिसका आयोजन 21.11.2018 से 22.12.2018 तक होना है, के अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों की बिक्री हेतु ग्राम श्री मंडप एवं उप विकास आयुक्त के कार्यालय शिविर का निर्माण कराया जाना है। इस कार्य हेतु इच्छुक पंजीकृत, अनुभवी संस्थानों/ फर्मो से द्वि-लिफाफा प्रणाली के अंर्तगत मुहरबंद लिफाफा में अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दिनांक 31.10.2018 को 11 बजे पूर्वाहन तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्राप्त की जायेगी। उसी दिन निविदादाताओं की उपस्थिति में क्रय समिति के समक्ष निविदा 12 बजे मध्याह्न में खोली जाएगी।

1. शिविर कार्यालय :

I. उप विकास आयुक्त के शिविर कार्यालय निर्माण हेतु आपूर्ति योग्य अनुमानित सामग्री की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रम	सामग्री की विवरणी	सामग्री की सं0	क्रम	सामग्री की विवरणी	सामग्री की सं0
01	दरबारी टेन्ट (वाटरप्रुफ)	01	17	पलगं वी.आई.पी. (डबल बेड)	02 पीस
02	पंडाल (30X30 वर्ग फीट) (वाटरप्रुफ)	01	18	लुकिंग ग्लास	05 पीस
03	स्वीस कॉटेज	02	19	स्नान चौकी	05 पीस
04	शयनागार (Dormitory) (50X25 वर्ग फीट) टेन्ट 30 स्वरोजगारियों के लिए		20	तौलिया सफेद	10 पीस
05	सभा कक्ष (30X30 वर्ग फीट)	01	21	गद्दा रूई का	30 पीस
06	चादर वी.आई.पी. (डबल बेड)	10 पीस	22	दरी	50 पीस
07	मैट्रेस (डबल बेड)	10 पीस	23	कपड़ा स्टैंड	05 पीस
08	तकिया (खोल के साथ)	30 पीस	24	कालीन	आवश्यकतानुसार
09	सोफा सेट (उत्कृष्ट गुणवत्ता के)	02 पीस	25	जाजीम	50 पीस
10	मच्छरदानी	30 पीस	26	कम्बल (अच्छी गुणवत्ता का)	50 पीस
11	सेन्टर टेबुल (क्लॉथ के साथ)	5 पीस	27	सामान्य कुर्सी	30 पीस
12	परदा	आवश्यकतानुसार	28	वी.आई.पी. कुर्सी	20 पीस
13	वॉश बेसिन	02 पीस	29	जेनरेटर (साईलेंट) 05 के.भी.ए.	01 पीस
14	ड्रेसिंग टेबल	03 पीस	30	चौकी सिंगल बेड	30 पीस
15	टेबल क्लॉथ	10 पीस	31	लाईट	आवश्यकतानुसार
16	पलंग (साधारण)	05 पीस			

II. उप विकास आयुक्त के शिविर कार्यालय में चारो ओर जी.आई.सी. शीट (टीन) का घेरा करना होगा जिसका बाह्य एवं आंतरिक आवरण कपड़ा/ फ्लैक्स इत्यादि से निर्मित करना होगा।

III. पंडाल 30 X 30 वर्ग फीट साईज का चबुतरा के साथ सुसज्जित होना चाहिए तथा शामियाना में 2 सोफासेट (सेंटर टेबल, टेबल क्लॉथ के साथ) 30 सामान्य कुर्सी, तथा सम्पूर्ण शिविर पूण विधुतीकृत एवं सुसज्जित होना चाहिए।

IV. शिविर में अस्थायी विद्युत कनेक्शन संवेदक के द्वारा लिया जायेगा। साथ ही 05 के.भी.ए. साईलेंट जेनरेटर में प्रयुक्त इंधन की गणना हेतु एक लॉग बुक संधारित करना होगा। तदनुसार ही ईधन मद में व्यय की गई राशि का भुगतान किया जायेगा।

V. शिविर परिसर में Scrapping of Grass, Wooden Floor work, Enclosure by steel sheet 7ft to 9ft height, Bamboo Poles for Kanat, Wooden work for pillars, Earth Filling Platforms, Mats, Brick Soling, सिंघाड़ा एजींग इत्यादि का कार्य कराना होगा।

VI. संपूर्ण शिविर कार्यालय में कॉटेज पंडाल परिसर सहित होना होना चाहिए।

2. ग्रामश्री मंडप :

क्रम संख्या	सामग्री की विवरणी	सामग्री की संख्या	क्रम संख्या	सामग्री की विवरणी	सामग्री की संख्या
01	हैंगर (80X100) वर्ग फीट		16	झूमर	10 अदद
02	बीटिंग डिजाईन सिलिंग (80X100) वर्ग फीट		17	एल.इ.डी. लाईट	20 पीस
03	स्टॉल (8X8) वर्ग फीट	32 पीस	18	ट्यूब लाईट	30 पीस
04	पैनल टाईप स्टॉल	10 पीस	19	मेटल लाईट	10 पीस
05	विशिष्ट कक्ष (शौचालय सहित) (20X25)	02 अदद	20	वी.आई.पी. साउण्ड सिस्टम	01 पीस
06	मॉडल निर्माण प्लाईवुड, सनबोर्ड, थर्मोबोर्ड इत्यादि से (24X32) वर्ग फीट	मनरेगा,पी0एम0ए0वाई0, एस0बी0एम0, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, जीविका इत्यादि	21	तोषक	40 पीस
07	फेसिया का निर्माण प्लाईवुड, पेन्टिंग, सनबोर्ड इत्यादि से (34X80) वर्ग फीट		22	हैलोजन	10 पीस
08	POP से निर्मित आदमकद मूर्त्ति	02 पीस	23	डोरमेट	02 पीस
09	लकड़ी का फ्लोरिंग (78X100) वर्ग फीट		24	सी.सी.टी.वी. कैमरा	आवश्यकतानुसार
10	पंडाल निर्माण चेंजिंग रूम के लिए (10X10) वर्ग फीट	01 अदद	25	कालीन	02 पीस
11	कारपेट (78X100) वर्ग फीट		26	जेनरेटर 20 के0भी0ए0	01 पीस
12	सोफा सेट सेन्टर टेबल के साथ	02 पीस	27	सेन्टिंग फ्लोर (24X32) वर्ग फीट	
13	वी.आई.पी. कुर्सी	20 पीस	28	एल.ई.डी. स्क्रीन (12X8)	
14	कुर्सी	100 पीस	29	रैक बांस प्लाई से निर्मित	32 अदद
15	टेबल	03 पीस			

I. निविदादाता को 8000 वर्गफीट (लगभग) में हैंगर एवं बीटिंग डिजाईन सिलिंग के द्वारा ग्रामश्री मंडप तैयार करना है, जिसमें 8X8 फीट का रैंक सहित लगभग 32 स्टॉल एवं 10 पैनल टाईल स्टॉल संलग्न प्लान के अनुसार निर्माण करना होगा। काउंटर प्लाईवुड/ बांस का निर्माण करना होगा। हैंगर के अंतर्गत ही लगभग 20X25 वर्गफीट का 2 विशिष्ट कक्ष (शौचालय सहित) निर्माण करना होगा।

II. हैंगर अधीन ही प्लान के अनुसार लगभग 24X32 फीट में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ लोहिया स्वच्छ बिहार योजना, एवं मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से संबंधित एक आकर्षक एवं भव्य मॉडल का निर्माण करना होगा। इस मॉडल के लिए सैंट्रिंग फ्लोर, एल.ई.डी. पट्टी एवं एल.ई.डी. ऐडेस्टल लगाना होगा। साथ ही पंडाल में 12X8 का एक एल.ई.डी. स्क्रीन स्थापित करना होगा। आवश्यकतानुसार फ्लैक्स एवं होर्डिंग लगाना होगा।

III. ग्रामश्री मंडप हेतु 34X80 को फेसिया प्लाई बोर्ड पेन्टिंग का निर्माण प्लान के अनुसार करना होगा एवं मुख्य द्वार पर दो मूर्त्ति POP की स्थापित करनी होगी।

IV. ग्रामश्री मंडप का पंडाल वाटरप्रुफ होगा एवं पूरे कारपेट एरिया (मंडप एरिया को छोड़कर) में Wood Flooring करना होगा एवं कारपेट मैट देना होगा।

V. पंडाल के पिछले भाग में अर्थात् पूर्व से निर्मित शौचालय के पास महिला स्वरोजगारियों के स्नान हेतु पंडाल 10X10 फीट का सोलिंग तथा उसके कपड़ा बदलने हेतु चेन्जिंग रुम का निर्माण करना होगा। स्नानागार के पास 5 फीट गड्ढा X 5फीट चौड़ा एवं 10 फीट लम्बा कच्चा सोखता का निर्माण करना होगा।

VI. सम्पूर्ण पंडाल तथा इसके अंदर अन्य सामग्रियों यथा सोफासेट (सेंटर टेबल, टेबल क्लॉथ के साथ) 20 वी.आई.पी. कुर्सी, 3 टेबुल, 100 फाईबर कुर्सी, झुमर, पर्याप्त एल.ई.डी. लाईट, मरकरी, मेटल लाईट, VIP प्रोग्राम सिस्टम, तोसक, डोरमेट, हैलोजन, CCTV Camera, कालीन इत्यादि सामग्रियों की व्यवस्था की जानी है। सामग्रियों की संख्या Indicative है Conclusive नही।

VII. ग्रामश्री मंडप में अस्थायी विद्युत कनेक्शन संवेदक को लेना होगा। साथ ही साथ 20 के.भी.ए. का एक सायलेंट जेनरेटर संवेदक को देना होगा एवं उसमें प्रयुक्त ईंधन की गणना हेतु एक लॉगबुक संधारित करना होगा। तदनुसार ही ईंधन मद में व्यय की गई राशि का भुगतान किया जायेगा।

VIII. ग्रामश्री मंडप में आवश्यकता के अनुरूप फूल एवं बैलुन से सभी प्रकार की साजोसज्जा का कार्य संवेदक को करना होगा।

3. निविदा की शर्त्तें :

I. निविदादाताओं को अपने निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में छपरा में अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय 50,000.00 (पच्चास हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्रॉफ्ट उप विकास आयुक्त, सारण के नाम से देय होगा। दोनो कार्य के लिए अलग-अलग प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

II. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ GST निबंधन प्रमाण पत्र / काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पैनकार्ड की प्रति संलग्न करना होगा। पूर्व में इस प्रकार के किए गए कार्य का प्रमाण पत्र यदि हो तो संलग्न करना आवश्यक है।

III. अस्थायी शिविर में दरबारी टेन्ट आवश्यक है एवं शिविर हेतु उपर्युक्त अंकित सभी सामग्रियों का एकमुश्त दर संपूर्ण मेला अवधि के लिए निविदादाता को देना अनिवार्य होगा।

IV. कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण बड़े मेलों में अस्थायी शिविर प्रदर्शनी, स्टॉल निर्माण के स्तर का होना चाहिए।

V. निविदादाता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण से इसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

4. वित्तीय निविदा की शर्त्तः

I. तकनीकी निविदा में सक्षम फर्म/ संस्था की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

II. निविदादाता को निविदा में उप विकास आयुक्त के कार्यालय शिविर एवं ग्रामश्री मंडप के अस्थायी निर्माण हेतु एकमुश्त दर सभी करों सहित अंकित करना होगा।

5. अन्य शर्त्ते :

I. संवेदक को मेला उद्घाटन दिनांक 21.11.2018 के दो दिन पूर्व अनिवार्य रूप से ग्रामश्री मंडप एवं अस्थायी शिविर का कार्य पूर्ण करना होगा। इसके लिए वैधानिक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सम्पूर्ण जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा शेष कार्य अन्य निविदादाता से निर्धारित दर पर करायी जायेगी। अन्य निविदादाता द्वारा की गई कार्य की राशि को मूल निविदादाता की जमानत राशि तथा विपत्र की राशि से कटौती कर ली जाएगी।

II. सम्पूर्ण मेला अवधि में किसी भी प्रकार की आवश्यक मरम्मति या शर्तो के अनुरूप डिजाईन इत्यादि के अनुरुप संरचना का मरम्मति करना अनिवार्य होगा।

III. आपूर्ती की जाने वाली सभी सामग्री साफ-सुथरी, अच्छी किस्म की एवं नई होनी चाहिए।

IV. आमंत्रित निविदा में पाये गये न्यूनतम दर पर किसी भी संस्था से कार्य कराने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिया जा सकता है।

V. शिविर एवं पंडाल में सभी प्रकार की सामग्री एवं उपकरण पूर्णतः सुसज्जित, सुन्दर एवं उत्कृष्ट श्रेणी का होना चाहिए।

VI. शिविर एवं पंडाल हेतु किसी प्रकार का अग्रिम एवं अन्य व्यय का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत किया जायेगा।

VII. पूर्व में कार्य करने वाले/ अनुभव वाले संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

VIII. संवदेक को मेला समाप्ति के उपरांत शिविर में लगाये गये सभी उपकरण एवं सामग्रियां अपनी लागत पर वापस ले जाना होगा तथा पूरे परिसर को पूर्ववत बहाल करना होगा।

IX. दरबारी टेन्ट, कनात, तथा पंडाल आदि पुर्णतः सुसज्जित, सुन्दर तथा अच्छे किस्म का होना चाहिए। गुणवत्ता खराब होने पर अधिष्ठापन की अनुमति नही दी जायेगी।

X. निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं पुनः निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णरुपेण सुरक्षित रहेगा।

12/10/18

उप विकास आयुक्त,
सारण, छपरा।